

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

सह-उधारकर्ताओं के साथ उधारकर्ता और डॉवेल फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CIN-U65999MH1995PTC289390), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत परिभाषित और निगमित और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी को चलाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत और 903 लोढ़ा सुपरमुसद्र ई. मूसा रोड पर स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय के बीच व्यवसाय ऋण के सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें, वर्ली नाका, मुंबई-400018, जिसे इसके बाद "डीएफएसपीएल" कहा जाता है, पर सहमति हुई है और निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

अ. ऋण का विवरण

क्रमांक	विवरण	वर्णनकर्ता
1	आवेदन संख्या	
2	यूसीआईडी	
3	ऋण स्वीकृत राशि	
4	ऋण समझौते की तिथि	
5	ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	ROI प्रति वर्ष)
6	ब्याज दर प्रकार (फिक्स्ड/फ्लोटिंग/सेमी-फिक्स्ड)	प्रकार: फिक्स्ड
7	प्रोसेसिंग फीस	(रुपये)
8	अवधि (किशतों की कुल संख्या जहां ऋण समान मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है)	महीनों में
9	अधिस्थगन या सब्सिडी	NA
10	स्थापना प्रकार: PEMI, EMI	आवृत्ति मासिक (PEMI - टूटी हुई अवधि के लिए और पूर्ण वितरण से पहले। ऋण के पूर्ण संवितरण के बाद ईएमआई)
11	ब्याज दर के रीसेट की तिथि (फ्लोटिंग रेट /	ब्याज दर रीसेट चक्र प्रत्येक वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले से शुरू होने वाले अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष का चौथाई है
12	ब्याज दर में बदलाव के संचार के तरीके	भारत भर के प्रमुख प्रमुख समाचार पत्रों में या इसकी वेबसाइट या ईमेल या व्हाट्सएप पर 'प्रेस विज्ञप्ति' के माध्यम से या पंजीकृत फोन / मोबाइल नंबर / संचार के अन्य स्रोत पर कॉल
13	ऋण का उद्देश्य	
14	ऋण का प्रकार	नया
15	ऋण और ब्याज का पुनर्भुगतान	ऋण की पूरी अवधि के दौरान ईएमआई / पीईएमआई के माध्यम से और स्वागत पत्र के साथ साझा किए गए ऋण समझौते और परिशोधन अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार
16	संपत्ति/उधारकर्ता का बीमा	प्रतिभूति/संपार्श्विक के रूप में प्रस्तावित संपत्ति का डीएफएसपीएल द्वारा ऋण की अवधि के दौरान निर्दिष्ट राशि के लिए प्राकृतिक आपदा, आग, क्षति, आपदा, खतरों और खतरों के खिलाफ विधिवत बीमा किया जाना चाहिए, जिसमें डीएफएसपीएल एकमात्र लाभार्थी के रूप में हो। डीएफएसपीएल को हर साल या डीएफएसपीएल द्वारा मांगे जाने पर साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। डीएफएसपीएल द्वारा निर्दिष्ट राशि के बावजूद, संपत्ति को उधारकर्ता द्वारा पर्याप्त राशि के लिए पर्याप्त रूप से बीमा किया जाएगा। पॉलिसी / पॉलिसियों के तहत एकमात्र लाभार्थी के रूप में उधारकर्ता डीएफएसपीएल के साथ अपने लिए स्वास्थ्य और/या जीवन बीमा कवर का लाभ उठा सकता है। दावों और कवरेज सहित नियम और शर्तें बीमाकर्ता द्वारा नियंत्रित की जाएंगी। बीमा याचना का विषय है।
17	किस्त राशि (पीईएमआई / ईएमआई) - आंकड़े और शब्द दोनों	

स्वीकृत और हस्ताक्षरित					
विशेष	कर्जदार	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
दस्तखत देखिए।					

आ. सुरक्षा/संपाधिक

क्रमांक नहीं।	व्यक्तियों	या क्रिस
1	संपत्ति विवरण	
2	गारंटी: गारंटर/एस के नाम (यदि कोई हो)	
3	अंतरिम सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा	

इ. वितरण के लिए शर्तें

1	स्वीकृति पत्र/ऋण समझौता/लेनदेन दस्तावेजों में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करना
2	संपत्ति का कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन (सुरक्षा /
3	अंतिम उपयोग की पुष्टि
4	सभी शुल्कों, करों आदि का भुगतान करें या उसी को पूंजीकृत करें।
5	ऋण पूरा होने तक समय-समय पर डीएफएसपीएल द्वारा आवश्यक किसी भी प्रकार की जानकारी नियमित रूप से प्रदान करने का वचन दें
6	अपने व्यवसाय / रोजगार / संपर्क विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में डीएफएसपीएल को सूचित करें।
7	लिखित रूप में ऋण के संवितरण के लिए अनुरोध (डीएफएसपीएल द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार)। इस तरह के अनुरोध को विधिवत रूप से किया गया माना जाएगा जब डीएफएसपीएल के हाथ, मेल या वेबसाइट के माध्यम से या ऐसे अन्य रूप / तरीके से डीएफएसपीएल द्वारा समय पर घोषित किया जा सकता है
8	स्वीकृत पत्र में उल्लिखित ऋण के संवितरण के लिए सभी पूर्व शर्तों का पालन करें।
9	संपत्ति (सुरक्षा) के लिए पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक सुनिश्चित करें और उक्त संपत्ति बिल्कुल भारमुक्त और किसी भी दायित्व से मुक्त है।
10	सुनिश्चित करें कि कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं हुई हैं जो उधारकर्ता के लिए वर्तमान ऋण के लिए ऋण समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए असंभव बनाती हैं।
11	सुनिश्चित करें कि ऋण करार निष्पादित/उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने के संबंध में चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

ई. शुल्क और अन्य प्रभार (जीएसटी या सरकारी लेवी समय-समय पर लागू अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा)

क्रमांक नहीं।	शुल्क	लागू शुल्क (लागू GST)	टिप्पणियां
क) अग्रिम प्रभार: ऋण आवेदन के निर्णय और संवितरण से पहले:			
1	प्रसंस्करण शुल्क आवेदन शुल्क (Application Fees)	<p>अ) प्रसंस्करण शुल्क स्वीकृत ऋण राशि के 4% तक की दर से होगी। वास्तविक प्रसंस्करण का उल्लेख स्वीकृति पत्र में किया जाएगा और मूल्यांकन और ऋण राशि के अधीन प्रत्येक उधारकर्ता के लिए भिन्न हो सकता है। जीएसटी अतिरिक्त रूप से लागू होगा।</p> <p>आ) ऋण के लिए आवेदन के साथ भुगतान किया जाने वाला आवेदन शुल्क 2500 रुपये प्लस जीएसटी होगा।</p>	<p>अ) प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन शुल्क से अधिक है और संवितरण से पहले भुगतान किया जाना है या आंशिक या पूर्ण रूप से संवितरण राशि से वसूल किया जा सकता है।</p> <p>आ) आवेदन शुल्क राशि गैर-वापसी योग्य राशि, चेक/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से देय है, जो डॉविल फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में है।</p> <p>नोट: किसी भी कारण से वितरण से पहले डीएफएसपीएल द्वारा ऋण अस्वीकार किए जाने की स्थिति में या आवेदक द्वारा संवितरण से पहले अपना आवेदन वापस लेने की स्थिति में, यदि भुगतान किया गया प्रसंस्करण शुल्क निम्नलिखित शर्तों के अधीन वापस किया जाएगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - आवेदन शुल्क गैर-वापसी योग्य है - भुगतान की गई वैधानिक बकाया राशि गैर-वापसी योग्य है

स्वीकृत और हस्ताक्षरित

विशेष	कर्जदार	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
दस्तावेज देखिए।					

2	कानूनी राय और खोज शुल्क (गैर-भार प्रमाणपत्र / सत्यापन रिपोर्ट सहित)	रु. 3,000+जीएसटी प्रति रिपोर्ट	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
3	RCU शुल्क	रु. 1000/- + जीएसटी प्रति लोन	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
4	लेनदेन दस्तावेज़ शुल्क	रु. 500+जीएसटी प्रति लोन	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
5	रक्षा मंत्रालय/सरल बंधक/पंजीकृत बंधक/आईओएम/ग्रहणाधिकार अंकन आदि- पंजीकरण व्यय	वास्तविक पर	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
6	मूल दस्तावेज़ सत्यापन शुल्क (ODV) या जैसा लागू हो	रु. 500/- + जीएसटी प्रति लोन	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
7	CERSAI: संवितरण के समय: प्रभार का निर्माण	रु. 100/- + जीएसटी (5 लाख से अधिक के ऋण के लिए) और; रु. 50/- + जीएसटी (5 लाख तक के ऋण के लिए) या सीईआरएसएआई द्वारा लगाए गए शुल्क के अनुसार	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
8	संवितरण के लिए डिमांड ड्राफ्ट	डीडी जारी करने के लिए वास्तविक शुल्क + लागू जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
9	स्टाम्प शुल्क	वास्तविक पर	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
10	तकनीकी मूल्यांकन शुल्क	रु. 1500 +जीएसटी प्रति रिपोर्ट	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
11	पुनर्विधीकरण शुल्क की मंजूरी (प्रारंभिक स्वीकृति पत्र की समाप्ति के बाद)	रु. 1000+जीएसटी प्रति पुनर्विधीकरण	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।

ख) सेवा शुल्क:

1	CERSAI: चार्ज में संशोधन के समय (टॉप अप के मामले में)	रु. 100/- + जीएसटी (5 लाख से अधिक के ऋण के लिए) और; रु. 50/- + जीएसटी (5 लाख तक के ऋण के लिए) या सीईआरएसएआई द्वारा लगाए गए शुल्क के अनुसार	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
2	चेक रिटर्न/ईसीएस रिटर्न/एसीएच रिटर्न प्रभार (प्रति लिखत/लेनदेन)	रु. 1000+जीएसटी प्रति रिटर्न	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। उधारकर्ताओं के ऋण खाते से शुल्क लिया जाएगा।
3	देर से भुगतान शुल्क	विलंबित भुगतान के लिए देर से भुगतान शुल्क @ 3% प्रति माह लिया जाएगा। +विलंबित राशि पर GST & केवल विलंबित अवधि के लिए.	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। उधारकर्ताओं के ऋण खाते से शुल्क लिया जाएगा।
4	कलेक्शन पिकअप चार्ज/रिकवरी विजिट चार्ज	रु. 500+ जीएसटी प्रति विजिट	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। उधारकर्ताओं के ऋण खाते से शुल्क लिया जाएगा।
5	डुप्लीकेट नो ड्यूज सर्टिफिकेट	रु. 2000/-+ जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
6	संपत्ति के कागजात की प्रति	रु. 2000/-+ जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
7	दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	रु. 2500/- +जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
8	डिस्बर्सल कैंसलेशन शुल्क	यदि ग्राहक से संवितरण के बाद रद्द करने का अनुरोध प्राप्त होता है; ग्राहक को 6500 रुपये + जीएसटी के ऋण रद्द करने का शुल्क देना होगा। यदि डीएफएसपीएल द्वारा संवितरण के बाद रद्दीकरण शुरू किया जाता है तो कोई रद्दीकरण शुल्क लागू नहीं होगा।	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
9	लोन प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र स्टेटमेंट	रु. 4000/-+ जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
10	डुप्लिकेट वार्षिक खाता विवरण, अनंतिम प्रमाणपत्र	रु. 2500/-+ जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।

स्वीकृत और हस्ताक्षरित

विशेष	कर्जदार	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
दस्तखत देखिए।					

11	SOA/पुनर्भुगतान अनुसूची शुल्क	2500+जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
12	डिस्बर्समेंट चेक कैंसलेशन & री-इश्यू	रु. 1000/- + जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
13	स्विच/रूपांतरण या ब्याज दर में परिवर्तन अ) फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग ब्याज दर आ) फ्लोटिंग रेट के लिए फिक्स्ड रेट और इसके विपरीत इ) निश्चित ब्याज दर के लिए निर्धारित	बकाया मूलधन पर 2% + GST (POS)	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
14	चेक/ACH स्वैपिंग शुल्क (प्रति सेट) पीडीसी से पीडीसी; पीडीसी से एसीएच ; ACH से ACH ; ACH से PDC	रु. 1000/- + जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
15	शिकायत से निपटने का शुल्क	शून्य	NA
16	कानूनी वसूली शुल्क	जहां वर्तमान	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
17	दस्तावेजों की सूची	4500 +जीएसटी	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।

ग) फोरक्लोज़र के समय शुल्क:			
1	नकद संग्रह प्रभार (केवल पूर्ण और आंशिक समापन /	रु. 5/- प्रति रु. 1000 नकद संग्रह + जीएसटी के लिए	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
2	सीईआरएसएआई: ऋण बंद होने के समय: - प्रभार की संतुष्टि (ग्रहणाधिकार को हटाना)	शून्य	NA
3	दस्तावेज़ कस्टोडियन शुल्क	रु. 500/- + जीएसटी प्रति माह (ऋण खाता बंद होने के 30 दिनों के बाद प्रभार्य)	उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। अप्रतिदेय।
4	आंशिक-पूर्व भुगतान/पूर्व-समाप्ति ऋण पर शुल्क	अ) ब्याज की अस्थिर दर। सह-उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) के साथ या उनके बिना वैयक्तिक और/या गैर-वैयक्तिक उधारकर्ताओं को संवितरित किसी भी ऋण के लिए, किसी भी स्रोत के माध्यम से किए गए आंशिक या पूर्ण पूर्व भुगतान के कारण कोई प्रभार देय नहीं होगा, सिवाय इसके कि जब ऋण व्यावसायिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया हो। निम्नलिखित ऋण व्यवसाय ऋण के रूप में योग्य होंगे: एमएसएमई ऋण, संपत्ति पर ऋण / व्यावसायिक उद्देश्य के लिए गृह इक्विटी ऋण अर्थात् कार्यशील पूंजी, व्यवसाय ऋण का बैलेंस ट्रांसफर, व्यवसाय का विस्तार, वाणिज्यिक संपत्ति का अधिग्रहण, धन का कोई भी अंतिम उपयोग और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिया गया कोई भी ऋण। उल्लिखित प्रभार लागू होंगे, प्री-पेमेंट किए जा रहे पूर्ण या आंशिक मूलधन बकाया पर प्री-पेमेंट प्रभार लगाया जाएगा। आ) ब्याज की निश्चित दर उल्लिखित शुल्क लागू होंगे, प्री-पेमेंट बकाया पूर्ण या आंशिक मूलधन बकाया पर प्री-पेमेंट किया जाएगा। इ) अर्ध-निश्चित ब्याज दर प्रभारों का आवेदन इस बात पर निर्भर करेगा कि ऋण पूर्व-भुगतान अथवा पूर्व-समापन के समय नियत अथवा अस्थायी ब्याज दर में है अथवा नहीं। पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बकाया मूलधन के पूर्व भुगतान पर पूर्व भुगतान प्रभार लगाया जाएगा। बताए गए शुल्क लागू होंगे।	12 महीने के भीतर प्री-पेमेंट/प्री-क्लोज़र की अनुमति नहीं दी जाएगी। 12 महीने के बाद प्रीपेमेंट चार्ज बकाया मूलधन पर 10%+GST तक होगा

स्वीकृत और हस्ताक्षरित					
विशेष	कर्जदार	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
दस्तखत देखिए।					

1	SMA और NPA वर्गीकरण	ईएमआई/पीईएमआई/ब्याज के भुगतान में देरी के मामले में, डीएफएसपीएल कैलेंडर तिथि की नियत तारीख के अंत में उधारकर्ताओं के खाते (सभी लिंक्ड खातों के साथ-साथ) को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए)/ गैर निष्पादित खाता (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करेगा। उदाहरण: देय तिथि 31 मार्च, 2021 और डीएफएसपीएल द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, अतिदेय की तारीख 31 मार्च, 2021 होगी और इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक एसएमए-0 के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-1 के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा, अर्थात् लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा और यदि यह आगे अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
2	सामान्य नियमों और स्वीकृति पत्र की शर्तों का अनुपालन न करना पत्र और आवेदन पत्र और ऋण समझौते / लेनदेन दस्तावेज की शर्तें	ऋण की ब्याज दर डीएफएसपीएल के विवेक पर 3% तक की वृद्धि के अधीन है
3	EMI/PEMI के लगातार तीन बाउंस	ऋण की ब्याज दर डीएफएसपीएल के विवेक पर 3% तक की वृद्धि के अधीन है
4	ओवर-ड्यूज की वसूली	ग्राहकों को ऋण की चुकौती प्रक्रिया, अवधि, आवधिकता, राशि और ऋण के पुनर्भुगतान के तरीके के संबंध में समझाया जाता है। देय तिथि पर नियमित रूप से ईएमआई या पीईएमआई का भुगतान करने के अपने दायित्व के बारे में ग्राहक को कोई नोटिस, रिमाइंडर या सूचना नहीं दी जाती है। नियत तारीखों तक प्री-ईएमआई/ईएमआई का भुगतान न करने पर, डीएफएसपीएल ग्राहकों को टेलीफोन कॉल करके, डाक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखित सूचना भेजकर या ग्राहक द्वारा दिए गए पते पर डीएफएसपीएल के अधिकृत कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे करके ग्राहकों को याद दिलाएगा। ऐसी कॉल/संचार/विज्ञापन की लागत ग्राहक से वसूल की जाएगी। डीएफएसपीएल के पास ऋण समझौते के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसे उपाय करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें विलंबित भुगतान के लिए देर से भुगतान शुल्क लेना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। यहां जो कुछ भी कहा गया है, उसके बावजूद, यह सुनिश्चित करना ग्राहक की देयता होगी कि प्री-ईएमआई / ईएमआई का भुगतान नियमित रूप से देय तिथियों पर किया जाता है। किसी भी ग्राहक के खाते से संबंधित क्रेडिट जानकारी मासिक आधार पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) या किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त ब्यूरो को प्रदान की जाती है। सिबिल के क्रेडिट इतिहास पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि ग्राहक को ऋण राशि पर देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) अथवा माध्यस्थ सहित किसी अन्य विधि के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा लेना और बिक्री करना सहित बंधक/प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की वसूली प्रक्रिया का पूर्णतः संबंधित कानून के अंतर्गत निर्धारित निर्देशों के अनुसार पालन किया जाता है। परक्राम्य लिखित अधिनियम, सिविल वाद के साथ-साथ सरफेसी अधिनियम/माध्यस्थता के तहत अतिदेय की वसूली के लिए कदम उठाने से पहले ग्राहक को सूचना/अनुस्मारक/नोटिस दिए जाते हैं। वास्तविक प्रक्रिया डीएफएसपीएल द्वारा निर्धारित की जाएगी
5	जिस तिथि से वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी किया जाता है	बकाया शेष विवरण ऋण अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद मई के महीने में जारी किया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य मोड के रूप में किया जा सकता है जैसा कि डीएफएसपीएल द्वारा अपने विवेक से उपलब्ध संपर्क विवरण पर अपने विवेक पर और उधारकर्ता के लिए डीएफएसपीएल के साथ अद्यतन किया जाता है।

ऊपर बताए गए सभी शुल्क और शुल्क वैधानिक करों को छोड़कर हैं। उधारकर्ता द्वारा निष्पादित/निष्पादित एमआईटीसी के संदर्भ में भिन्नता के अधीन, डीएफएसपीएल अपने उधारकर्ताओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करने, अपने कार्यालयों में प्रदर्शन और समय-समय पर सामान्य घोषणा करने का प्रयास करेगा। यदि ऐसा परिवर्तन उधारकर्ता के नुकसान के लिए है, तो उधारकर्ता 30 दिनों के भीतर और बिना किसी सूचना के ऋण खाते को बंद कर सकता है या किसी भी अतिरिक्त शुल्क या ब्याज का भुगतान किए बिना इसे स्विकार कर सकता है।

हमें मूल एमआईटीसी, स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है और ऋण समझौते के लिए हम वेबसाइट पर नमूना प्रति का उल्लेख करेंगे।

स्वीकृत और हस्ताक्षरित					
विशेष	कर्जदार	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
दस्तखत देखिए।					

ऊ. ग्राहक सेवाएँ

- १) दस्तावेजों की आवश्यकता सहित ग्राहक सेवा प्रश्नों को निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से डीएफएसपीएल को संबोधित किया जा सकता है:
- अ. हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमें लिखें: www.abhiyancapital.com
- आ. हमें यहां सूचित करें: डीएफएसपीएल लिमिटेड: पता: 903 लोढ़ा सुप्रेमस डॉ ई. मूसा रोड, वर्ली नाका, मुंबई- 400018
- इ. ईमेल आईडी पर सूचित करें: contactus@abhiyancapital.com
- २) डीएफएसपीएल की सभी शाखाओं के संबंध में ग्राहक सेवा के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है
- ३) कार्य घंटों के भीतर अपनी निकटतम शाखा में DFSPPL ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करें:
- अ. दस्तावेजों की फोटो प्रतियां, जो अनुरोध करने की तारीख से 7 कार्य दिवसों में प्रदान की जा सकती हैं। आवश्यक प्रशासनिक शुल्क शुल्क की अनुसूची के अनुसार लागू किया जाएगा।
- आ. मूल दस्तावेज ऋण बंद होने की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होगा।
- इ. ऋण खाता विवरण (समय सीमा): अनुरोध प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर।

ऋ. शिकायत निवारण:

ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां उधारकर्ता प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। ऐसे उदाहरणों को उजागर करने और शिकायत दर्ज करने के लिए उधारकर्ता निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकता है:

एक। उधारकर्ता वेबसाइट पर ग्राहक सेवा से शिकायत कर सकता है: www.abhiyancapital.com

आ। उधारकर्ता contactus@abhiyancapital.com पर हमसे मिल सकता है या लिख सकता है

इ। यदि 7 दिनों की अवधि के बाद भी चिंता का समाधान नहीं होता है, तो उधारकर्ता मामले को निदेशक के पास भेज सकता है:

निदेशक, डीएफएसपीएल लिमिटेड,

903 लोढ़ा सुप्रेमस डॉ ई. मूसा रोड, वर्ली नाका, मुंबई- 400018

ई। यदि उधारकर्ता अभी भी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता नीचे दिए गए लिंक पर ऑनलाइन मोड में अपनी शिकायतें दर्ज करके आरबीआई के शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क कर सकता है

<https://cms.rbi.org.in>

यह एतद्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, पार्टियां ऋण और उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का उल्लेख करेंगी और उन पर भरोसा करेंगी। उपर्युक्त नियम एवं शर्तें डीएफएसपीएल के श्री/श्रीमती प्रेम कुमार द्वारा उधारकर्ता/ओं/उधारकर्ताओं को पढ़कर सुनायी गई हैं और उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा समझ ली गई हैं

(उधारकर्ता/ओं/के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

(डीएफएसपीएल के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

स्वीकृत और हस्ताक्षरित

विशेष	कर्जदार	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता	सह-उधारकर्ता
नाम					
दस्तखत देखिए।					